



2026:AHC:29526

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या- 5173/2026

राजधारी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के वकील : धीरज सिंह

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी को नोटिस भेजने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। यद्यपि, यदि विपक्षी पक्ष आदेश से असंतुष्ट हों, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 / अपर आयुक्त (प्रशासन) तृतीय गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर को पुनरीक्षण संख्या सी 202505 000000391 (राजधारी एवं अन्य बनाम सुभाष चंद्र एवं अन्य) पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला निचली अदालत में लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/ अपर आयुक्त (प्रशासन) तृतीय गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर को उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका निचली न्यायालय के समक्ष, सख्ती से विधि के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

10 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"